न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0- 15./2018

अनवान :-

1. महेन्द्रसिह पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. चन्द्रसैन पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कोयल पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. रविन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गेर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 18/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल की रोही मोजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 108/98 की कुल 1.9570हैक भूमि का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 29/36 की कुल 2.2110हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 2 चन्द्रसैन पुत्र धेरूराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 13/14 की कुल 1.4520हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 129/118 की कुल 1.4520हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 130/119 की कुल 0.0130हैक भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपने अपने खेतों में आने जाने के लिये आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत नही है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण का भारी असुविधा होती है।

प्रार्थी एव अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार रास्ता का उपयोग कर रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

सायल ने गैरसायल को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल एव गैरसायल की भूमि में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर।

Scanned with CamScanner

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल व गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के खेत पडोसी है एव एक ही परिवार के सदस्य है सायल व गैरसयल को अपने खेत मे जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल एव गैरसायल को उनकी भूमि में जाने के लिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान एवं गैरसायल 1 ता 6 की आपरी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 एनटीआर प0न0 389/427 (18) के किला न0. 16 में 0.013हैक्ट उत्तर से दक्षिण रास्ता रहेगा इसके बदले में भूमि रामस्वरूप अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को देगा एव प0न0 390/427 (17) के किला न0 12/2 की 0.013हैक्ट महेन्द्र के खेत में उत्तर से दक्षिण ओमप्रकाश का रास्ता देगा एव मु0न0 17 के किला न0 19/1 की 0.013हैक्ट भूमि महेन्द्र ओमप्रकाश को रास्ता देगा मु0न0 17 के किला न0 20 में 0.013हैक्ट पूर्व से पश्चिम रास्ता रहेगा व प0न0 390/428(28) के किला न0 1/2 अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 चन्द्रसेन को रास्ता देगें व मु0न0 27 के किला न0 4 में 0.008हैक्ट व किला न0 5 की 0.013हैक्ट रास्ता रहेगा व इसी मु0न0 27 के किला न0 4 में 0.10हैक्ट रास्ता रहेगा एव किला न0 7 में 0.11हैक्ट महेन्द्र द्वारा चन्द्रसैन को उत्तर से दक्षिण रास्ता देगा जो कि रामस्वरूप की ढाणी तक रहेगा उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 2406 दिनांक 18/07/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 41 सन 2021 निर्णय दिनांक -18/07/2022

अनवान :–

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. चन्द्रसैन पुत्र घेरूराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कोयल पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. रविन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर प0न0 389 / 427 (18) के किला न0. 16 में 0.013हैक उत्तर से दक्षिण रास्ता रहेगा इसके बदले में भूमि रामस्वरूप अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को देगा एव प0न0 390 / 427 (17) के किला न0 12 / 2 की 0.013हैक महेन्द्र के खेत में उत्तर से दक्षिण ओमप्रकाश का जमीन देगा एव मु0न0 17 के किला न0 19 / 1 की 0.013हैक भूमि महेन्द्र ओमप्रकाश को रास्ता देगा मु0न0 17 के किला न0 20 में 0.013हैक पूर्व से पश्चिम रास्ता रहेगा व प0न0 390 / 428(28) के किला न0 1 / 2 अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 चन्द्रसेन को रास्ता देगे व मु0न0 27 के किला न0 4 मे 0.008हैक व किला न0 5 की 0.013हैक रास्ता रहेगा व इसी मु0न0 27 के किला न0 4 मे 0.10हैक रास्ता रहेगा एव किला न0 7 मे 0.11हैक महेन्द्र द्वारा चन्द्रसैन को उत्तर से दक्षिण रास्ता देगा जो कि रामस्वरूप की ढाणी तक रहेगा उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन कियां जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner